भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 536

(03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह

536. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:
श्रीमती पूनमबेन माडम:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री खगेन मुर्मु:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत दिसम्बर, 2025 की स्थिति के अनुसार कितने ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल किया गया है;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत बैंक सखियों की तैनाती से ग्रामीण वित्तीय समावेशन और संस्थागत ऋण तक पहुंच में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिसम्बर, 2025 की स्थिति के अनुसार डीएवाई-एनआरएलएम के उद्यमशीलता घटक के अंतर्गत कितने उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

क) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत दिसंबर 2025 तक की स्थिति अनुसार 10.05 करोड़ परिवारों को 90.91 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया गया है।

ख) शाखा स्तर पर 'बैंक सखियों' की तैनाती ने इस योजना के तहत एसएचजी -बैंक लिंकेज को काफी मजबूत किया है। बैंक सखियाँ बैंक लिंकेज के लिए पात्र स्वयं सहायता समूहों(एसएचजी) की पहचान करने , ऋण आवेदनों को तैयार करने और जमा करने की सुविधा प्रदान करने, जिसमें ऋण समीक्षा और ऋण वृद्धि के मामले शामिल हैं , तथा लंबित

ऋण प्रस्तावों पर मासिक आधार पर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इसके अतिरिक्त , स्वयं सहायता समूहों द्वा रा बैंक ऋणों का समय पर और नियमित पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा में एक समुदाय आधारित वसूली तंत्र (सीबीआरएम) को संस्थागत रूप दिया गया है।

आज की तिथि अनुसार, 50,548 बैंक सखियाँ तैनात की गई हैं , जिन्होंने सामूहिक रूप से महिला स्वयं सहा यता समूहों को 2013-14 में योजना की शुरुआत के बाद से ₹2.18 लाख करोड़ का संस्थागत बैंक ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाया है , जिससे ग्रामीण वित्तीय समावेशन में काफी वृद्धि हुई है।

ग) एसवीईपी कार्यक्रम के तहत , दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार डीएवाई - एनआरएलएम के उद्यमिता घटक के अंतर्गत कुल 5.88 लाख उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है।

****